HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 284/2026

Narpat S/o Puna Ram, Aged About 31 Years, R/o Bhadwada Railway Station Pali, P.S. Industrial Area, Pali (Raj).
(Presently Lodged In District Jail Pali)

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री प्रकाश चन्द्र, श्री लोकेश कुमार
For Respondent(s)	:	श्री नरेन्द्र गहलोत, लोक अभियोजक मय मि. सोनु मानावत, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

23/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत आवेदन पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर (पाली), जिला पाली** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 151/2025** अपराध अन्तर्गत **धारा 3/25, 5/25, 27 आयुध अधिनियम** के संबंध में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में झूंठा फंसाया गया है, इस मामले में दिनांक 27.11.2025 को सहअभियुक्त नरपत बंजारा पुत्र हेमाराम के कब्जे से आग्नेयास्त्र बरामद हुआ था जिस पर उसे गिरफ्तार किया गया, सहअभियुक्त नरपत बंजारा पुत्र हेमाराम के बयान दर्ज किये गये, उक्त नरपत बंजारा ने अपनी पूछताछ नोट में बताया कि वह उक्त आग्नेयास्त्र को प्रार्थी/अभियुक्त नरपत बंजारा पुत्र पुनाराम से लेकर आया था। सह अभियुक्त नरपत बंजारा पुत्र हेमाराम के

बयान के अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, ना ही कोई प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त को केवल मात्र सहअभियुक्त बयान के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत इस आधार पर निरस्त कर दी गयी है क्योंकि उसके खिलाफ 23 अन्य प्रकरण में लंबित होना पाया गया है जबकि इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्त से कोई आग्नेयास्त्र बरामद नहीं हुआ है। सहअभियुक्त नरपत बंजारा पुत्र हेमाराम से आग्नेयास्त्र बरामद किया गया है तथा इसकी जमानत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गयी है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 09.12.2025 को गिरफ्तार किया गया है तब से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ लगाये गये आरोप प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। मामले में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है, विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध किया तथा व्यक्त किया कि प्रार्थी/अभियुक्त को 23 आपराधिक मामलों में पंजीबद्ध होना पाया गया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि सहअभियुक्त नरपत बंजारा पुत्र हेमाराम के बयान के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को आरोपी बनाया गया है, इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है। मामले में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 09.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को

दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **नरपत पुत्र पुनाराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 151/2025 पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर (पाली), जिला पाली** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपए मात्र)** का एक व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **50,000–50,000/– (अक्षरे पचास–पचास हजार रूपए मात्र)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय तस्दीकशुदा प्रतिभूतियां (सत्यापित जमानतदार) प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ASHUTOSH KUMAR),J

48-Dhanraj Jajoria /-